



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-15092023-248780
CG-DL-E-15092023-248780

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 532]
No. 532]

नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 15, 2023/भाद्र 24, 1945
NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 15, 2023/BHADRA 24, 1945

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 सितम्बर, 2023

संख्या 56/2023-सीमा शुल्क

सा.का.नि. 674(अ).—सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उप-धारा (1) और सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की धारा 3 की उप-धारा (12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, एतद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 19/2019-सीमा शुल्क, दिनांक 06 जुलाई, 2019, जिसे सा.का.नि. 476(अ), दिनांक 06 जुलाई, 2019 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा:-

उक्त अधिसूचना में, तालिका में, क्रम संख्या 23 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के लिए, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

(1)	(2)	(3)
"23.	49,73,84,85,90, या 93	(I) एके-203 राइफल के विनिर्माण के उपयोग हेतु पुर्जे, उप-पुर्जे, इनपुट; (II) उपरोक्त (I) में उल्लेखित माल के लिए मशीनरी, फिक्स्चर, गेज, औजार और जिग (III) उपरोक्त (I) और (II) में उल्लिखित माल के लिए तकनीकी दस्तावेज़।

2. यह अधिसूचना भारतीय राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होगी।

[फा. सं. 190354/154/2023- टीआरयू]

विक्रम वानरे, अवर सचिव

नोट : मूल अधिसूचना संख्या 19/2019-सीमा शुल्क, दिनांक 06 जुलाई, 2019, सा.का.नि. संख्या 476(अ), दिनांक 06 जुलाई, 2019 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित की गई थी और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 41/2022-सीमा शुल्क, दिनांक 13, जुलाई, 2022 सा.का.नि. 573 (अ) दिनांक 13 जुलाई, 2022 के तहत प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया है।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th September, 2023

No. 56/2023-Customs

G.S.R. 674(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962) and sub-section (12) of section 3, of the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 19/2019-Customs, dated the 6th July, 2019, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 476(E), dated the 6th July, 2019, namely :-

In the said notification, in the Table, for Sl. No. 23 and the entries relating thereto, the following Sl. No. and entries shall be substituted, namely: -

(1)	(2)	(3)
“23.	49,73,84, 85, 90 or 93	(I) Parts, sub-parts, inputs for use in manufacture of AK- 203 rifle; (II) Machinery, Fixtures, Gauges, Tools, and Jigs for goods mentioned at (I) above; (III) Technical documentation in respect of goods mentioned at (I) and (II) above”.

2. This notification shall come into force on the date of its publication in the official gazette.

[F. No. 190354/154/2023-TRU]

VIKRAM WANERE, Under Secy.

Note : The principal notification No. 19/2019-Customs, dated the 6th July, 2019, was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 476(E), dated the 6th July, 2019 and was last amended *vide* notification No. 41/2022-Customs, dated the 13th July, 2022, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 573(E), dated the 13th July, 2022.